



अधिभाग
के हस्ताक्षर

225



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 12088 निगरानी

R-1628-III-14

दिनांक 30.5.14 को
प्रो. रजस. को आवेदन
द्वारा प्रस्तुत

~~30~~
30.5.14
A-50

- १- अजै लाल
- २- धन्जू पुत्रगण रामदास,
- ३- राजाराम
- ४- अकसिमा
- ५- सियाराम
- ६- श्रीमती कट्टूवाह वैवा रामदास
निवासीगण - ग्राम खजवा, तहसील-राजनगर,
जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश।

----- प्राथमिगण

विराध्व

- १- मध्यप्रदेश शासन,
- २- फूला पुत्र नदुआ कोदर,
- ३- कल्लू पुत्र गेंदा,
- ४- राजा उर्फ गिंदवा पुत्र गेंदा,
समस्त निवासीगण- ग्राम नहदौरा, तहसील-
राजनगर, जिला छतरपुर-मध्यप्रदेश।

----- प्रतिप्राथमिगण

निगरानी विराध्व जादेश अपर कलेक्टर महोदय, छतरपुर,
दिनांक 30-08-88 अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, 1854,
प्रोक. 36.183-88 स्वमेव निगरानी।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, कलेक्टर महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।
- २- यह कि, कलेक्टर महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति
को सही नहीं समझा है।

3

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1628-तीन/2014

जिला छतरपुर

अच्छेलाल विरूद्ध शासन व फूला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 36/स्व.निग./2013-14 में पारित आदेश दिनांक 30-04-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आर के जैन) सदस्य 20/2/2019</p>